

अध्याय III

सामान्य छूट अधिसूचनाओं का गलत कार्यान्वयन

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत सरकार पूर्णतः या उदग्रहण योग्य सीमाशुल्क पर पूर्णतः या किसी भाग से अधिसूचना में निर्दिष्ट, किसी निर्दिष्ट विवरण के माल के रूप में ऐसी परिस्थितियों में छूट प्रदान करने के लिए सशक्त है। सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करते हुए कि छूट अधिसूचनाओं के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है कि उक्त अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट शर्तें छूट प्रदान करने से पहले पूरी की गई हैं। रिकॉर्ड (मई 2015 से अप्रैल 2017) की नमूना जांच के दौरान, ₹ 17.35 करोड़ के कुल राजस्व कार्यान्वयन सहित छूट के गलत दिये जाने के 17 मामले देखे गये थे। इनमें से, 13 मामलों की चर्चा आगामी पैराग्राफ में की गई है जिन्हें विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है और की गई वसूलियां/की गई वसूली कार्रवाईयों को अनुबंध 5 में दिया गया है।

3.1 दिनांक 14 सितंबर 2007 की अधिसूचना सं. 102/2007 सी.श. के अंतर्गत विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) का अनियमित प्रतिदाय

दिनांक 14 सितंबर 2007 की अधिसूचना सं. 102/2007 सी.श. के अनुसार बाद की बिक्री के लिए रखे गये आयातित माल उपरोक्त माल की बिक्री पर उपयुक्त बिक्री कर के भुगतान के अंतर्गत उक्त के प्रतिदाय के रूप में और प्रतिदाय दावे के साथ ऐसे आयातित माल के बिक्री के बीजकों की प्रति प्रदान कर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के अंतर्गत उदग्राह्य एचएडी से छूट प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम (सीएसटी) 1956 की धारा 8 के अंतर्गत, यदि डीलर अंतर-राज्य व्यापार के दौरान अन्य पंजीकृत डीलर को माल बेचता है जिसे माल बेचा गया है उस पंजीकृत डीलर द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त फॉर्म-सी में पूर्णतः फार्डल और हस्ताक्षरित, उदघोषणा के प्रस्तुतीकरण सहित वह राज्य मूल्य संवर्धित कर (वैट) अधिनियम के अंतर्गत ऐसे माल पर लागू दर पर दो प्रतिशत या लागू दर जो भी अधिक हो पर सीएसटी अदा करने के लिए बाध्य होगा।

विभिन्न पद्धतियां लागू करके एसएडी के अनियमित प्रतिदाय के मामले लेखापरीक्षा ने पाये जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

अपेक्षित रिटर्न या सीएसटी/वैट भुगतान के बिना हस्तांतरित/बेचे गये माल पर एसएडी का प्रतिदाय

3.1.1 उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत एसएडी इस शर्तों के अंतर्गत होता है कि (i) उक्त अतिरिक्त शुल्क के भुगतान को दर्शाते दस्तावेज़; (ii) आयातित माल की बिक्री के बीजक जिसके संबंध में उक्त अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय का दावा किया गया है और (iii) उपयुक्त बिक्री कर या मूल्य संवर्धित कर, ऐसे आयातित माल की बिक्री पर जैसा भी मामला हो, के भुगतान को दर्शाते दस्तावेजों की प्रति आयातक उपलब्ध कराता है।

सीएसटी, अधिनियम 1956 के तहत, एक प्रधान कार्यालय से शाखा/एजेंट को माल का हस्तांतरण बिक्री के लिए राशि नहीं है और इस प्रकार के संव्यवहारों पर बिक्री कर उदग्रहाय नहीं होता है। इस प्रकार के मामलों में, सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 6ए(1) के अनुसार, भार यह सिद्ध करने के लिए कि माल का हस्तांतरण अन्यथा की तुलना में बिक्री के माध्यम से डीलर पर निहित है जिसके लिए उन्हें इस प्रकार के माल के परिवहन के साक्ष्य द्वारा विधिवत समर्थित निर्धारित विवरणों सहित घोषणापत्र (फार्म एफ में) प्रस्तुत करेगा।

सीमा शुल्क (बन्दगाह), कोलकाता के कमिशनर ने मई और अगस्त 2013 के बीच प्रभावी ‘पावर टिलर’ के विदेश से प्रेषित पांच खेप माल के आयात के विरुद्ध जून 2014 में मैसर्स श्री अम्बिका आयरन इन्डस्ट्रीज, कोलकता के ₹ 22.25 लाख के एसएडी के प्रतिदाय की संस्वीकृति दी थी। यह बताया गया था कि आयातित माल हस्तांतरण के माध्यम से ओडिशा राज्य में ले जाया गया, तथापि, कम दर पर सीएसटी के भुगतान के लिए न तो स्टॉक हस्तांतरण के लिए फॉर्म एफ में अनिवार्य प्रमाण पत्र और न ही फार्म सी प्रतिदाय दावे के साथ प्रस्तुत किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने बीजकों में कर पहचान संख्या (टिन) की अन्य अनियमितताओं/गलत-घोषणा को नोटिस किया,

- i. प्रेषित माल एजेंट (आसाम एसएआईआई प्रा.लि., ओडिशा) के लिए जारी किए गए उनके चालान सह कर बीजकों में मैसर्स श्री अम्बिका आयरन इन्डस्ट्रीज द्वारा दी गई कर सूचना संख्या (टिन) 19292692005,

वास्तव में मैसर्स आसाम एसएआईआई मोटरस प्रा.लि., नंदा मौलिक लेन कोलकाता-700006, पश्चिम बंगाल से संबंधित था, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट के रूप में सत्यापित हुआ था।

- ii. माल प्रेषित एजेंट मैसर्स न्यू रॉयल मोटरस टिन सं. 2177650030 के द्वारा माल की बिक्री किया गया बताया गया था, उक्त टिन, ओडिशा सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था।
- iii. मैसर्स रितेश साह और एसोसियेट्स सनदी लेखाकार (सदस्यता सं. 063069) द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र, अदिनांकित था।

चूंकि आयातकर्ता द्वारा उचित बिक्री कर एवं वैट, एसएडी के प्रतिदाय की ₹ 22.25 लाख के भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना उपरोक्त अधिसूचना की शर्त 2(डी) को संतुष्ट नहीं करता हैं जो कि अनियमित था।

मामला मई 2015 में विभाग को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2017)।

अमान्य बिक्री बीजको के विरुद्ध एसएडी का प्रतिदाय

3.1.2 कोलकाता, सीमाशुल्क (बन्दरगाह) के कमिशनरी ने मैसर्स पुआंग रीफ्रेक्टरीज ग्रुप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए नवम्बर 2013 और मार्च 2014 के बीच आयातित माल की बिक्री के विरुद्ध नवम्बर 2014 में ₹ 11.64 लाख के एसएडी का प्रतिदाय संस्वीकृत किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उपरोक्त कर के लिए कोई साक्ष्य जमा नहीं किया गया क्योंकि दो प्रतिशत की रियायती सीएसटी दर पर बिक्री फार्म-सी में अनिवार्य घोषणा द्वारा समर्थत नहीं थे। इसलिये, माल के पांच प्रतिशत के बिक्री कर/वैट दर की उच्च दर पर बिक्री किये जाने चाहिए थे, जो कि नहीं किये गये थे।

हालांकि, उपरोक्त छ: में से, पांच मामलों में दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये गये बिक्री बीजक अविश्वसनीय थे, क्योंकि दावे के साथ प्रस्तुत किये गये सीएसटी रिटर्न के प्रतिकूल में बिक्री बीजकों में ग्राहकों के नाम और बिक्री की तिथि अलग-अलग थी।

इस प्रकार, दस्तावेजों की यर्थाथता जिस पर विभाग द्वारा प्रतिदाय की अनुमति दी गई थी, उसको लेखापरीक्षा द्वारा पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं किया जा सका था। इसलिये, ₹ 11.64 लाख का प्रतिदाय अनियमित था। मामले को अप्रैल 2016/फरवरी 2017 में विभाग के नोटिस में लाया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2017)।

फर्जी बीजकों के आधार पर एसएडी का प्रतिदाय

3.1.3 मैसर्स डैफोडिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आयातित माल के संबंध में कोलकाता बंदरगाह कमिशनरी द्वारा कुल ₹ 10.26 लाख के एसएडी के दो प्रतिदाय दावे की अनुमति (अप्रैल/मई 2014) दी गई थी। तथापि, यह देखा गया कि स्टॉक हस्तांतरण न तो निर्धारित फार्म 'एफ' द्वारा और न ही प्रासंगिक अवधि के लिए कर रिटर्न (भाग-1: अन्य राज्यों से प्राप्त किये गए स्टॉक हस्तांतरण प्रेषित माल की सूची) में उल्लिखित था जिसका अर्थ यह था कि कोई स्टॉक हस्तांतरण नहीं था। इसके अतिरिक्त, प्रतिदाय दावे के सभी जमा किए गए परिशिष्ट में, प्रेषित माल एजेंट/थोक व्यापारी के माध्यम से की गई मात्रात्मक बिक्री भी शून्य दर्शायी गई थी। इस प्रकार, माल की अंतरराज्यीय गतिविधि को स्टॉक हस्तांतरित करने के संबंध में साक्ष्य की अनुपस्थिति में सीएसटी अधिनियम 1956 के अनुसार बिक्री के परिणाम के रूप में अवसरित किया जायेगा और जो बिक्री कर के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, तत्कालिक मामले में एसएडी के प्रतिदाय के लिए उचित बिक्री कर/वैट के भुगतान के साक्ष्य अंतरराज्यीय बिक्री से संबंधित दस्तावेज होंगे और शाखा/एजेंट द्वारा बिक्री से संबंधित नहीं हैं, जैसा कि प्रस्तुत किया गया था।

यह भी देखा गया कि दो प्रतिदाय दावों के संबंध में प्रस्तुत किये गये बिक्री बीजकों को यद्यपि विभिन्न खरीदारों को माल वित्तीय वर्ष में जारी किया गया था, एक सीरियल नंबर माल बीजकों के फर्जी/काल्पनिक होने की संभावना का संकेत करते हैं और वैट/सीएसटी चालान से संबंधित नहीं हैं, जो कि उचित बिक्री कर/वैट के भुगतान को दिखा रहा है।

इस प्रकार, प्रत्यक्ष रूप से फर्जी बीजकों के आधार पर दावा किए गए एसएडी के प्रतिदाय की ₹ 10.26 लाख की मूल्यराशि अनियमित थी और उपरोक्त अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन में नहीं थी।

इस ओर इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2015), सीमा शुल्क कोलकाता बंदरगाह कमिशनरी ने (फरवरी 2017) बताया था कि प्रतिदाय धनराशि की वसूली के लिए मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (सितम्बर 2017)।

जाली सीए प्रमाणपत्र के आधार पर एसएडी का प्रतिदाय

3.1.4 कोलकाता बंदरगाह के सीमा शुल्क कमिशनरी ने, तीन मामलों में मई और नवम्बर 2014 के बीच मैसर्स जागृती कंपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एस.के. टिम्बर एण्ड कंपनी के लिए एसएडी प्रतिदाय के लिए ₹ 10.78 लाख संस्वीकृत किये थे। अपने दावे के सर्वथन में आयातकर्ताओं ने उपरोक्त दो फर्मों के लिए जमा किए गए अपने प्रमाणपत्रों में कोलकाता के दो भिन्न पतों के साथ फर्म अग्रवाल एण्ड कंपनी (फर्म पंजीकरण सं. 322280 ई) के मालिक श्री पी.के. अग्रवाल (सदस्यता संख्या 056186) नामित सीए के एक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, फर्म के द्व्यौरे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की वेबसाइट से सत्यापित किये गये थे (आईसीआईए) (www.icag.org) और यह पाया गया था कि सीए सदस्यता संख्या 056186 अग्रवाल पवन कुमार के नाम से पंजीकृत थी और पी.के. अग्रवाल के नाम से नहीं है जैसा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज में दिया गया था। इसी प्रकार, पंजीकरण संख्या 322280ई ‘अग्रवाल पवन एण्ड का.’ जैसा कि उपरोक्त दो फर्मों के लिए प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों के संबंध में बताया गया था। आईसीआई वेबसाइट पर पंजीकरण संख्या 322280 ई के साथ पंजीकृत फर्म का पता सेन्चुरी प्लाजा 81 नेताजी सुभाष रोड, तीसरा तल, कमरा न.303, कोलकाता के नाम से दिया गया था जो कि मैसर्स जागृति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के संबंध में दिये गये पते अर्थात् मुखर्जी बिल्डिंग, 3 नं., सेन्ट्रल एवेन्यू तीसरा तल, कोलकता से भिन्न था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने मैसर्स जागृति कंपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जमा किए गए प्रमाणपत्र में श्री पी.के. अग्रवाल के साथ विभाग के अभिलेखों में प्रस्तुत श्री पवन के अग्रवाल की मुहर और हस्ताक्षर का सत्यापन किया। और मुहर और हस्ताक्षर बेमेल पाये गये थे।

भिन्न फर्म नाम, भिन्न पते और हस्ताक्षर में बेमेल को ध्यान में रखते हुए दावे की सत्यता की पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती।

पूर्ववर्ती को देखते हुए, मैसर्स जागृति कंपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एस.के टिम्बर एण्ड कंपनी के उपरोक्त तीन मामलों में जमा किये गये सीए प्रमाणपत्र कथित रूप से फर्म अग्रवाल एण्ड कंपनी के श्री पी.के अग्रवाल के नाम पर जारी किए गये थे जो कि वास्तविक प्रतीत नहीं हो रहे थे, इसलिए लेखापरीक्षा के लिए अस्वीकार्य है। अतः, ₹ 10.78 लाख के लिए एसएडी के प्रतिदाय की मूल्यराशि न केवल अनियमित थी और ₹ 2.25 लाख की मूल्यराशि उस पर ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है लेकिन जाली दस्तावेजों के आधार पर निर्यातक द्वारा किए गए दावों की भी उचित जांच आवश्यक हैं।

इस विषय में अक्टूबर 2015 को विभाग को और सीमा शुल्क कमिश्नर, कोलकाता बंदरगाह को जनवरी 2017 में सूचित किया गया, परन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितम्बर 2017)।

लेखापरीक्षा ने पिछले वर्ष 2017 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.1 (पैराग्राफ 7.1 और 7.2 का सन्दर्भ) में ऐसे मामलों को प्रतिवेदित किया था, इसके उत्तर में मंत्रालय ने सूचित किया था कि संबंधित कमिश्नरियों ने मामले के विषय में सर्तकता शाखा को प्रतिवेदित किया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा में इंगित किए गए मामलों के संबंध में कार्यवाही आरंभ की गई थी, इस प्रकार के मामलों का लगातार घटित होना बड़ी प्रणालीगत खामियों को संकेत है जिसे सीए प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों की कड़ी संवीक्षा के माध्यम से ध्यान देने की आवश्यकता है जो कि कमिश्नर द्वारा प्रतिदायों को देने के लिए विश्वसनीय हैं।

3.2 अधिसूचना सं. 39/1996-सी.शु. के तहत गलत छूट के कारण प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) का गैर-उद्दगहण

3.2.1 भारत सरकार द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति एवं भारत सरकार के ठेकेदारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के केन्द्र/राज्य सरकार एवं इस प्रकार के उपक्रमों के सह ठेकेदार द्वारा बनाये गये निर्यातकर्ता दिनांक 23 जुलाई 1996 अधिसूचना सं. 39/1996 कस्टम (क्रम नं.-9 और 10) की शर्तों में सीमा-शुल्क की अतिरिक्त शुल्कों के सम्पूर्ण रूप से छूट प्राप्त नहीं हैं जैसा जून 2015 से

प्रभावी दिनांक 30 अप्रैल 2015 अधिसूचना सं. 29/2015-कस्टम, (पैराग्राफ 2 क्रमांक सं. IX) दिनांक 8 मई 2012 अधिसूचना सं. 30/2012-कस्टम के साथ पठित। तदनुसार, ठेकेदारों/सह-ठेकेदारों द्वारा निर्यातों को अधिसूचना के क्रमांक सं. 9ए/10ए के तहत निर्धारण किया गया है और 12.5 प्रतिशत पर सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्कों को लगाया गया था।

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सेना से संबंधित माल के अनेक प्रेषण भारत सरकार के ठेकेदारों, भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सरकारी उपक्रमों के सह-ठेकेदारों के द्वारा चैनलई (समुद्र एवं वायु) कमिशनरियों के माध्यम से (जून 2015 से मार्च 2016) आयात किये गये थे। 12.5 प्रतिशत पर कस्टम के अतिरिक्त शुल्क को लगाये जाने के स्थान पर दिनांक 23 जुलाई 1996 को अधिसूचना सं. 39/1996-कस्टम की क्रमांक नं. 9 और 10 के तहत कस्टम के अतिरिक्त शुल्कों से गलत तरीकों से छूट दी गई थी।

इसके परिणामस्वरूप 118 प्रेषणों में ₹ 7.24 करोड़ की मूल्यराशि के लिए सीवीडी की गैर-उगाही हुई।

इस ओर इंगित किये जाने पर (मई/जुलाई 2016), विभाग ने ₹ 21.19 लाख की मूल्यराशि की वसूली की सूचना दी थी (जून 2017) जिसमें पांच प्रेषणों में ₹ 3.26 लाख का ब्याज सम्मिलित था और 8 नियार्तकों को मांग नोटिस जारी किया गया था। आगे की प्रगति प्रतिक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.2.2 01 जून 2015 से 19 मार्च 2016 की अवधि के लिए सी पोर्ट कोचिन, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (एसीसी) नेदुंबसेरी और एसीसी, तिरुअन्तपुरम की प्रविष्टी रसीद की ऑनलाइन लेखापरीक्षा से पता चला कि भारत सरकार/राज्य सरकार के अलावा अन्य आयातकों द्वारा 113 प्रेषणों को मंजूरी दी गई थी जो कि दिनांक 23 जुलाई 1996 की अधिसूचना सं. 39/1996 कस्टम के क्रमांक सं. 9 और 10 के तहत सीवीडी/एसएडी निर्धारण से छूट प्राप्त थे यद्यपि, दिनांक 30 अप्रैल 2015 की अधिसूचना सं. 29/2015-कस्टम के माध्यम से छूट को वापस ले लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के शुल्क की गैर-उगाही हुई थी।

यह बताने पर (मार्च/अप्रैल 2016), विभाग ने एसीसी, नेदुंबसेरी के माध्यम से आयातकों द्वारा किलयर किये गये 29 प्रेषणों के संबंध में ब्याज सहित ₹ 56.91 लाख की वसूली के बारे में बताया (फरवरी 2017)। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क आयुक्तालय, त्रिवेन्द्रम ने एक प्रेषण में ₹ 0.46 लाख की वसूली के बारे में बताया और शेष 47 प्रेषणों में कारण बताओ नोटिस जारी किया। यद्यपि, सीमा शुल्क कार्यालय, कोच्चि ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि आयातकों को मांग नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.3 अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क के अंतर्गत गैर-खाद्य ग्रेड वनस्पति वसा के आयात पर मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) की कम उगाही।

खाद्य ग्रेड रिफाइंड मूँगफली का तेल (सीटीएच 1508)/सूरजमुखी का तेल (सीटीएच 1512) अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमाशुल्क (क्रम संख्या 58) दिनांक 17 मार्च 2012 के अंतर्गत बीसीडी की रियायती दर हेतु मान्य है। तथापि, औद्योगिक प्रयोग हेतु इन रिफाइंड तेलों का आयात बीसीडी की रियायती दर हेतु मान्य नहीं है।

समान आयातों में अधिसूचना लाभ के गलत प्रयोग पर लेखापरीक्षा पैराग्राफ सीएजी की 2014 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 12 (पैरा संख्या 5.10) में पहले ही शामिल किया जा चुका है, जहां मंत्रालय ने पैरा को स्वीकार किया था। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों को नोटिस किया जाता रहा जो यह दर्शाता है कि बोर्ड ने वर्गीकरण बताने के लिये सुधारात्मक कदम नहीं उठाये जिसके कारण बीसीडी की कम उगाही हुई। मंत्रालय की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं (सितम्बर 2017)।

इन मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

3.3.1 मैसर्स सुरु कैमिकल्स और 13 अन्य ने जेएनसीएच, नहावा शेवा, मुंबई के माध्यम से 'रिफाइंड मूँगफली का तेल/जैतून का तेल/बादाम बेस तेल/सूरजमुखी तेल और अखरोट का तेल/वनस्पति तेल' के 27 प्रेषणों का आयात किया (अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016)। आयातित माल सीटीएच 1508/1509/1515/1512 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था और अधिसूचना संख्या 12/2012 क्रम संख्या 58 के लाभ देते हुये बीसीडी की रियायती दर

लगाई गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातित माल औद्योगिक प्रयोग के लिये है और खाद्य उद्देश्य हेतु नहीं इस प्रकार, उपरोक्त अधिसूचना लाभ के लिये मान्य नहीं है। गलत वर्गीकरण और अनुचित छूट के कारण ₹ 3.77 करोड़ के शुल्क की कम उगाही हुई।

यह बताने पर (मार्च/अप्रैल 2017), सहायक आयुक्त, ग्रेड II, जेएनसीएच, नहावा शेवा ने कहा (अप्रैल 2017) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। शेष 13 आयातकों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.3.2 मैसर्स स्कोप इंग्रीडिअन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने समुद्री सीमाशुल्क, चेन्नै के माध्यम से 'रिफाइंड शीया बटर' के चार प्रेषणों का आयात किया (अगस्त 2014/अक्टूबर 2015)। इस माल का शुल्क, की रियायती दर, जो तेल के खाद्य ग्रेड में लागू होती है पर मूल्यांकन किया गया था लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आयतित माल, माल के मद विवरण में उल्लिखित अनुसार और आपूर्तिकर्ता की वेबसाइट (www.olvea.com) से पुष्टि के अनुसार कॉस्मेटिक उपयोग के लिये था तदनुसार, आयतित माल खाद्य उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं था; इस प्रकार दी गई छूट अनुचित थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 54.70 लाख के शुल्क की कम उगाही हुई।

यह बताने पर (फरवरी 2016), विभाग ने कहा (मई 2017) कि आयातक को की गई कम उगाही का भुगतान करने के निर्देश दिये गये हैं; ऐसा करने में विफल होने पर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जायेगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.4 वायु संचालित विद्युत जनरेटर के लिये कास्टिंग के आयात पर सीवीडी की गैर उगाही

अधिसूचना संख्या1/2016-सीमाशुल्क (सीवीडी) दिनांक 19 जनवरी 2016 के संदर्भ में, मशीनीकृत या गैर-मशीनीकृत वायु संचालित विद्युत जनरेटरों, (डब्ल्यूओईजी) कच्चा, तैयार या आधा तैयार या उप-संयोजित के भाग के कास्टिंग रूप में या डब्ल्यूओईजी के लिये उपकरण/घटक का भाग, जो चीनी गणराज्य से उत्पादित होता है और सीटीएच 84834000; 85030090 के अंतर्गत आता है और किसी आयातक द्वारा आयात किया जाता है, उस पर आयातित माल के मूल्य का 13.44 प्रतिशत पर सीवीडी वसूली योग्य है।

मैसर्स गमेसा रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड और तीन अन्य ने चेन्नै (सी)/जेएनसीएच, मुंबई सीमाशुल्क के माध्यम से चीनी गणराज्य से डब्ल्यूओईजी के विभिन्न मशीनीकृत कास्टिंग भाग जैसे मुख्य एक्सेल, हॉलो शाफ्ट, मशीनीकृत हब आदि का आयात किया (जनवरी से मार्च 2016)। माल को सीटीएच 85030090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था लेकिन उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत आयातित माल के मूल्य पर सीवीडी वसूल किये बिना किलयर किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.53 करोड़ के शुल्क की गैर उगाही हुई।

यह बताने पर (मार्च 2016/जनवरी 2017) विभाग ने (नवंबर 2016) मैसर्स सुजलाँन एनर्जी से ₹ 0.40 करोड़ की वसूली के बारे में बताया और दो आयातकों (मैसर्स लेट विंड लिमिटेड श्रीराम मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड, और मैसर्स रीजेन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड) को कारण बताओ नोटिस (मार्च 2017) जारी किया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।

3.5 मोनो अमोनियम फोस्फेट आयात पर सीवीडी की अनुचित छूट

“मोनो अमोनियम फोस्टफेट, पानी में घुलनशील उर्वरक” सीटीएच 31054000 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य है और अधिसूचना संख्या 12/2012-सीई क्रम संख्या 128 दिनांक 17 मार्च 2012 के अंतर्गत एक प्रतिशत की दर पर सीवीडी लगाये जाने योग्य हैं।

मैसर्स वेदांत फर्टीलाइज़र्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और 16 अन्य ने जेएनसीएच, नहावा, शेवा, मुंबई के माध्यम से चीन से ‘मोनो अमोनियम फोस्टफेट’ के 37 प्रेषण आयात किये (जनवरी 2015 से दिसंबर 2016)। माल को सीटीएच 31054000 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था लेकिन आयातित मोनो अमोनियम फोस्फेट को अन्य उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग किये जाने वाले इनपुट के रूप में मानकर उपरोक्त अधिसूचना क्रम संख्या 127 के अंतर्गत सीवीडी लगाये बिना किलयर किया गया था। मोनो अमोनियम फोस्फेट पानी में घुलनशील उर्वरक है और उर्वरकों के निर्माण के लिये इनपुट नहीं है जैसा सीमाशुल्क अधिनियम 12/2012-सीमाशुल्क क्रम संख्या 202 दिनांक 17 मार्च 2012 से स्पष्ट है, तदनुसार सीई अधिसूचना की क्रम संख्या 128 के अंतर्गत

एक प्रतिशत सीवीडी वसूली योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.01 लाख की सीमा तक शुल्क की कम उगाही हुई।

यह बताने पर (मार्च 2017), विभाग ने कहा (मार्च/मई 2017) कि संबंधित आयातकों को उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी कर दिये गये हैं, जबकि एक आयातक (मैसर्स स्नेह कार्पोरेशन) ने ₹ 0.09 लाख का भुगतान कर दिया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितम्बर 2017)।